



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिस्टरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

रिक्ति अधिसूचना संदर्भ संख्या सीएसएल/का. व प्रशा./भर्ती/ अनुबंध/ संकाय (मेटी)/2022/1

दिनांक 28 अप्रैल 2025

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीरल अनुसूची 'ए' कंपनी, कोच्ची में सीएसएल के समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान के लिए अनुबंध के आधार पर अनुदेशक (समुद्री इंजीनियरिंग) के पद को भरने हेतु पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है:-

I. पद का नाम, शैक्षिक योग्यता और अनुभव :-

तालिका 1

पद का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
अनुबंध के आधार पर अनुदेशक (समुद्री इंजीनियरिंग)	राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मेकानिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	अनिवार्य: न्यूनतम पांच वर्षों के लिए भारतीय/ विदेश जानेवाले पोतों पर कार्यचालन/ नौकायन का अनुभव या न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभव वाले भूतपूर्व भारतीय नौसेना/तटरक्षक कर्मी, जिसमें नौसेना/ तटरक्षक पोतों पर नौकायन का कम से कम छह वर्ष का अनुभव हो। वांछनीय :- क) ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रतिष्ठानों में औद्योगिक/ समुद्री प्रशिक्षण का अनुभव हो। ख) डीजीएस अनुमोदित संस्थानों द्वारा आयोजित 'प्रशिक्षकों और अनुदेशकों के लिए प्रशिक्षण' (टीओटीआई) पर एक पाठ्यक्रम किया हो।

II. महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत

: 28 अप्रैल 2025

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि

: 09 मई 2025



III. रिक्तियों की संख्या और आरक्षण :

तालिका 2

अनारक्षित	अपिव	कुल
2	1	3

क) अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/घटाने या रिक्ति को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है।

IV. अनुबंध की अवधि:

क) उपर्युक्त पद अस्थायी है और **तीन साल** की अवधि के लिए है जो संगठनात्मक आवश्यकताओं और व्यक्तिगत कार्य - निष्पादन के अधीन दो साल की एक और अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

V. पारिश्रमिक:

क) अनुबंध के पहले वर्ष के लिए पद हेतु पारिश्रमिक विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 3

समेकित वेतन (₹ प्रति महीने)	चिकित्सा भत्ता (₹)	कुल (₹)
₹ 41,620/-	₹ 2130/-	₹ 43,750/-

VI. आयु:

क) पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा दिनांक 09 मई 2025 को 62 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी आवेदकों का जन्म दिनांक 10 मई 1963 को या उसके बाद होना चाहिए।

VII. चयन की रीति:

क) सीएसएल, कोच्ची में आयोजित होने वाले चयन की रीति में **प्रायोगिक परीक्षा (100 अंकों में)** शामिल होंगे।

ख) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल को पद के लिए आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों के माध्यम से पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों की लघुसूची तैयार करने का अधिकार है और केवल ऐसे लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

ग) प्रमाणपत्र सत्यापन को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।



VIII. शर्तें:

क) आरक्षण:

- i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे।
- ii) अ.पि.व. श्रेणी से संबंधित आवेदकों को राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी एक वैध हालिया (केंद्रीय सरकार के रोजगार प्रयोजन के लिए गैर क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी को आरक्षित पद के लिए तथा श्रेणी के लिए लागू अन्य रियायतों/छूट के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- iii) बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, दिव्यांगजता की डिग्री न्यूनतम 40% होनी चाहिए। आवेदक को इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एक वैध दिव्यांगजता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए।

ख) योग्यता:

- i) पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण/ राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान/ परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।
- ii) किसी भी निर्धारित योग्यता के समतुल्य योग्यता रखने वाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समतुल्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और इस तरह के प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग) अनुभव:

- i) उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। अनुभव की अवधि की गणना दिनांक 09 मई 2025 से की जाएगी।
- ii) आवेदक जो हाल ही में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी) में कार्यरत हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में, संगठन द्वारा जारी नियुक्ति आदेश/प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची/आखिरी वेतन की प्रति अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पिछले रोजगार के लिए कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ कार्यमुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- iii) आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक/ पेंशन भुगतान आदेश प्रस्तुत करना चाहिए। जिन भूतपूर्व सैनिकों को उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक में योग्यता का समर्थन किया गया है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सेवा अवधि के दौरान अर्जित की गई ऐसी योग्यता को भी योग्यता के बाद के अनुभव की गणना के



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लिए माना जाएगा। योग्यता की समकक्षता का दावा करनेवाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राधिकरण के साथ उसी के निर्वहन प्रमाणपत्र में समकक्षता या समर्थन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का संदर्भ लें), अनुभव के प्रमाण के रूप में सशस्त्र बलों में संबंधित क्षेत्र में योग्यता और कार्य अनुभव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और उसे प्रमाणपत्र सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना है। उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

- iv) आवेदक जो सेवानिवृत्त तटरक्षक कर्मी है, वे संबंधित अधिकारियों से संबंधित शाखा में कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र और अनुभव प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
- v) आवेदकों को किए कार्यों और कर्तव्यों की प्रकृति, संबंधित कार्यों में संभाले गए दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही अधिसूचित पद के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय इसके प्रमाण में अनुभव प्रमाणपत्र को प्रस्तुति के समय संलग्न करना चाहिए।
- vi) प्रमाणपत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, आवेदकों को अपने आवेदन में दावा किए अनुभव को स्थापित करने के लिए मूल रूप में सभी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उन्हें आगे के चयन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

घ) आवेदन शुल्क:

- i) **ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग आदि) का उपयोग करके ₹ 300/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए, जिसे दिनांक 28 अप्रैल 2025 से 09 मई 2025 तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।**
- ii) **अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।**
- iii) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित लोगों को छोड़कर, उपरोक्त खंड में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।



ड) आवेदन कैसे करें:

- (i) आवेदकों को वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ→ सीएसएल, कोच्ची) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक में प्रकाशित यूजर मैनुअल और एफएक्यू को पढ़ना चाहिए। आवेदन दो चरण होते हैं – एक बार पंजीकरण और पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना। आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा।
- (ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले आवेदक एसएपी ऑनलाइन पोर्टल में एक बार पंजीकरण पूरा कर सकते हैं और अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। दिनांक 28 अप्रैल 2025 से 09 मई 2025 तक यह सुविधा हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ→ सीएसएल, कोच्ची) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (iii) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगता आदि के प्रमाण के सभी प्रमाणपत्र और हाल ही में एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में अपलोड किया गया है, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें अस्वीकार किया जाएगा।
- (iv) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई हैं और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- (v) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि अधूरा आवेदन/ वापस लिए गए आवेदन/ मसौदा स्थिति वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदन की स्थिति "प्रगति में" के रूप में (इन प्रोसस) दिखाई जाएगी। आवेदन की प्रस्तुति के बाद, उम्मीदवार "माई एप्लिकेशन्स" लॉग इन करें और प्रक्रिया की पूर्ति सुनिश्चित करें कि आवेदन की स्थिति "प्रगति में" है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vi) ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ के लिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्या वाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, एकमात्र पंजीकरण संख्या केवल



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

ऑनलाइन आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर ही प्राप्त की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार के लिए उद्धृत की जानी चाहिए।

(vii) **आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।**

(viii) वेबसाइट दिनांक **28 अप्रैल 2025** से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक **09 मई 2025** है। अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें। **आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा एसएपी आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।**

च) सामान्य

i) **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।**

ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा - भूतपूर्व सैनिक वह व्यक्ति है

क) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैर योद्धा के रूप में किसी भी रैंक पर सेवा की हो, और

(i) जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या

(ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या

(iii) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है।

ख) जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़रिए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात् निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटी हुई अवधि के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या

ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार



- पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित; या
- घ) कार्मिक, जो अप्रैल 14, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे ;
- ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या
- च) पूर्व भर्तियों को चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त या सेवामुक्त किया गया तथा चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान की गई
- iii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित योग्यता अपेक्षाएं के समर्थन में किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ी विवरण मांगने का अधिकार है, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल career@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएसएल, निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेलों की किसी देरी/गैर-प्राप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे प्रश्नों के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस सिलसिले में कोई पत्राचार प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।
- iv) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल की ओर से किसी अन्य चरण में फिर से सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने पर उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।
- v) **चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।**
- vi) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर हैं और सीएसएल, चयनित उम्मीदवारों की अनुबंध अवधि के दौरान या उसके बाद नियुक्ति की पेशकश करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।



- vii) अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- viii) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए ई मेल/ सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा। चयन की अनुसूची ईमेल / सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल, कोच्ची) के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन के लिए उपरोक्त वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल, कोच्ची) को बार- बार देखें।
- ix) केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा करने, बुलावा पत्र जारी करने और चयन प्रक्रिया में भाग लेने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं होगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं बनता है, और सीएसएल में रोजगार के लिए आवेदक किसी भी दावे का हकदार नहीं है।
- x) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।
- xi) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि के लिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।
- xii) सभी पदों के लिए रैंक सूची का रखरखाव किया जाएगा और केवल रैंक सूची की वैधता अवधि अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह देने वाले उम्मीदवारों की सूची से, या उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी होने तक। यदि रैंक सूची से शामिल होने के लिए सलाह दी गई उम्मीदवार के शामिल न होने या रैंक सूची से चयनित उम्मीदवार के बाद में अलग होने के दौरान कोई रिक्ति होने की स्थिति में संचालित किया जाएगा। रैंक सूची का उपयोग सक्षम प्राधिकारी से विशिष्ट अनुमोदन सहित रैंक सूची की वैधता के दौरान उत्पन्न होने वाली भविष्य की रिक्तियों को भरने के लिए भी किया जा सकता है।
- xiii) इस अधिसूचना में दर्शाए गए पदों की संख्या वर्तमान आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग होगी और रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल के निर्णय पर उस रैंक सूची से भरा जाएगा।



- xiv) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।
- xv) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों की बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।
- xvi) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेजों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।
- xvii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा।
- xviii) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।
- xix) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और स्पष्टीकरण के लिए हमें कृपया career@cochinshipyard.in ईमेल से संपर्क करें।

“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।”

“केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।”

ह/-

महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)